



## अध्याय-V

### अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जारी किए गये लेखापरीक्षा मानक में निरूपित सिद्धांतों और प्रथाओं के आधार पर लेखापरीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मंत्रालय/विभाग के जोखिमों के आकलन से आरंभ होती है तथा किये गये खर्चों, कार्यकलापों की गंभीरता/गतिविधियों की जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन तथा हितधारकों की चिंताओं पर आधारित प्रत्येक इकाई के साथ होती है। इस प्रक्रिया में पिछले वर्षों के निष्कर्षों का भी ध्यान रखा जाता है। इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा तय की जाती है। ऐसे जोखिम आकलन के आधार पर एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के द्वारा अंकेक्षण किया जाता है।

प्रत्येक यूनिट की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात यूनिट के प्रधान को निरीक्षण प्रतिवेदन, जिसमें लेखापरीक्षा के जाँच परिणाम शामिल रहते हैं, जारी किये जाते हैं। इकाइयों से अनुरोध किया जाता है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा के जाँच परिणाम के संबंध में उत्तर दे देंगे। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा के जाँच परिणाम या तो सेटल कर दिये जाते हैं या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए अलग से जारी किया जाता है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु संसाधित किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम में 216 लेखांकन अंकेक्षण करने योग्य इकाइयाँ हैं जिनमें से 81 इकाइयों की लेखापरीक्षण की योजना वर्ष 2015-16 के दौरान बनाई गई तथा उनका अंकेक्षण किया गया। प्रबंधन ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 32.18 करोड़ (107.82 प्रतिशत) की राशि की वसूली लेखापरीक्षा के आधार पर की जिसका ब्यौरा तालिका 5.1 में दिया गया है:-

तालिका 5.1: लेखापरीक्षा के आधार पर एफसीआई के द्वारा की गई वसूलियाँ

संक्षिप्त आपत्ति तथा संबंधित अवधि	वसूली की स्थिति (₹ लाख में)	
	लेखापरीक्षा के द्वारा दिखाया गया	वसूली गई राशि
उपस्थिति आधारित भत्ता प्रणाली के नहीं अपनाने के कारण मजदूरी का अतिरिक्त भुगतान	50.24	38.36
वरिष्ठ विभागीय श्रमिक के मूल वेतन के आधार पर कनिष्ठ विभागीय श्रमिक को प्रोत्साहन के भुगतान के कारण अनियमित भुगतान	70.30	11.74
स्टॉक के नीचे क्रम के कारण अनाज के लागत की गैर वसूली	97.26	90.82
वजन शुल्क की गैर वसूली	22.98	20.18
कस्टम मिल्ड चावल के परिवहन शुल्क का राज्य एजेंसियों को अधिक भुगतान	14.88	1.24
चावल मिलों से जूट की बोरियों की अवमूल्यित लागत की गैर - अवसूली	5.68	1.10
दोहरिया में अवास्तविक स्टैक योजना के साथ रिकार्डों के मिथ्याकरण के कारण प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली के श्रमिकों को आय का अधिक भुगतान	1.30	1.30
ठेकेदार को ब्याज मुक्त अग्रिम का अनियमित भुगतान	1.72	1.74
चावल के परिवहन पर अतिरिक्त भुगतान	3.52	3.52
आरएमएस वर्ष 2015-16 के दौरान गेहूँ के बोरो की लागत के रूप में राज्य/सरकारों/एजेंसियों को अतिरिक्त भुगतान	103.00	103.00
पुरानी सीजन की जूट की बोरियों के लिए केएमएस वर्ष 2014-15 की जूट की बोरियों की नई दर को लेने के कारण हानि	12.36	12.36
जूट की बोरियों के अवमूल्यन पर वैट का अनियमित भुगतान	6.86	6.86
राज्य सरकारों/एजेंसियों को जूट की बोरियों की कीमतों तथा सीएमआर में जूट की बोरियों के अवमूल्यन का अतिरिक्त भुगतान	313.00	296.00
राज्य एजेंसियों/मिलों के द्वारा घटिया चावल के बदले बीआरएल चावल के प्रतिस्थापन में देरी के कारण स्टैकिंग तथा वजन शुल्क की गैर वसूली	1.23	1.23
आरएमएस वर्ष 2007-09 से 2009-10 के दौरान केन्द्रीय पूल के तहत खरीदी गई गेहूँ पर भंडारण लाभ के कारण राज्य एजेंसियों को अधिक भुगतान	76.00	180.27
गेहूँ के सीधी डिलीवरी पर अस्वीकार्य खर्च के भुगतान के कारण राज्य एजेंसियों को अधिक भुगतान	9.42	15.85
पंजाब राज्य भंडारण निगम को भंडारण प्रभार का अधिक भुगतान	806.26	806.26
वर्ष 2012-13 से 2014-15 को दौरान राज्य एजेंसियों द्वारा गेहूँ की खरीद में पहले से प्रयुक्त गनी बैगों की कीमत की गैर वसूली के कारण अधिक भुगतान	266.08	266.08
केएमएस वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान राज्य एजेंसियों के द्वारा शिथिल विनिर्देशों के कारण सीएमआर की डिलीवरी पर अतिरिक्त भुगतान	242.08	251.77
आरएमएस वर्ष 2010-11 के दौरान गेहूँ की कम प्रत्यक्ष वितरण के संबंध में वसूली करने में मनमानी के कारण नुकसान	67.00	419.16

आरएमएस वर्ष 2007-08 के दौरान अंतिम दरों के पुनरीक्षण के कारण 241.90 लाख रुपये की गैर वसूली	241.90	266.11
आरएमएस वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए अंतिम दरों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप भंडारण प्रभार के अधिक भुगतान की गैर वसूली	381.41	381.41
केएमएस वर्ष 2006-07 तथा 2008-09 के दौरान सीएमआर के मानकों में शिथिलीकरण पर मूल्य कटौती की गैर वसूली के कारण अधिक भुगतान	9.24	10.81
मेसर्स कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लि. को गेहूँ के निर्यात पर हैंडलिंग प्रभार का अधिक भुगतान (आपत्ति मई-जून 2013 से संबंधित)	181.25	31.15
<b>कुल</b>	<b>2,984.97</b>	<b>3,218.32</b>

महत्वपूर्ण अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणीयाँ इस प्रकार हैं:-

### 5.1 हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्टर को ₹ 71.75 करोड़ का धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान

हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान से संबंधित स्थायी निर्देशो/मैनुएल के प्रावधानों के पालन न करने के कारण वर्ष 2014-15 तक काल्पनिक कार्य के लिए हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्टर को ₹ 23.02 करोड़ का अनुचित भुगतान। आंतरिक लेखापरीक्षा एवं सतर्कता टीमों के द्वारा बाद में उसी ठेकेदार को कुल ₹ 71.75 करोड़ के धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान तथा उक्त धोखाधड़ीपूर्ण भुगतानों पर ₹ 13.39 करोड़ के ब्याज की हानि होना बताया।

भारतीय खाद्य निगम के दिशानिर्देशों तथा मैनुएल के अनुसार निम्नलिखित नियंत्रण/जाँच का पालन आवश्यक है:-

- लेखाओं के अनुसार, किसी खास शीर्ष में बजट की अधिक मांग अथवा उस खास हेड में पिछले तीन वर्षों के औसत वास्तविक व्यय के 120 प्रतिशत के बराबर या अधिक रहने पर औचित्य साबित किया जाना चाहिए।
- नियंत्रक कार्यालयों के द्वारा मासिक तथा तिमाही प्रतिवेदनों से व्यय की निगरानी की जानी चाहिए।
- संविदा दिए जाने की तिथि से तीन महीने के अंदर आँचलिक अंकेक्षण दल के द्वारा संविदा की लेखापरीक्षा की जानी चाहिए।
- एक हैंडलिंग अनुबंध के अन्तर्गत एफएसडी में होने वाले प्रत्येक संचालन के लिए सभी खाद्य भंडारण डिपो (एफएसडीएस) के द्वारा एक मासिक स्टॉक एकाउंट (एमएसए) का विवरण तैयार किया जाएगा।

- ठेकेदार के द्वारा किये गये कार्य के समर्थन में कार्य की सूची, जिसमें कार्य की तिथि, गोदाम/शेड के नाम, किए गए कार्य की विशिष्टियाँ, बोरियों की संख्या/किए गए कार्य की मात्रा की जानकारी हो, बिल के समर्थन में सुपुर्द करने की आवश्यकता होगी।
- जारी किये गये कार्य स्लिप की सटीकता की जाँच के पश्चात् ही भुगतान अधिकृत किया जाना चाहिए। तथा
- क्षेत्रीय प्रबंधक को विभिन्न परिचालन स्थानों पर काल्पनिक कार्य स्लिप जारी करने की जाँच करने के लिए औचक निरीक्षण करना चाहिए।

अरुणाचल प्रदेश में जिला कार्यालय बन्दरदेवा के अंकेक्षण के समय यह पाया गया कि पूर्वोक्त निर्देशों के अनुपालन नहीं किये जाने तथा समुचित मॉनीटरिंग के अभाव में एक ठेकेदार को धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान किया गया जिसके विवरण निम्न है:-

- जिला कार्यालय बन्दरदेवा की परिचालन गतिविधियों 12<sup>44</sup> खाद्य भंडारगृहों में है जिसकी कुल क्षमता 23,200 एमटी है। संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 11 एफएसडी में खाद्यानों की हैंडलिंग का कार्य कुल ग्यारह संविदा (दिसंबर 2012 से अगस्त 2015) चार<sup>45</sup> ठेकेदारों को दिया गया था। जिला कार्यालय बंदरदेवा का वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक की अवधि के लिए हैंडलिंग लागत संबंधित वर्षों के लिए ₹ 1.75 करोड़, ₹ 3.85 करोड़ तथा ₹ 4.65 करोड़ था। लेखापरीक्षा के द्वारा यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 से हैंडलिंग लागत वर्ष 2014-15 में घातांकी बढ़त दर्ज की गई जो संबंधित वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 22.10 करोड़ तथा ₹ 26.30 करोड़ थी जो पिछली तीन वर्षों (वर्ष 2010-11 से 2012-13) की तुलना में बहुत अधिक थी। चूंकि यह वृद्धि भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि के कारण नहीं हुई थी, अतः इस मामले में लेखापरीक्षा के द्वारा आगे की जाँच किए जाने की आवश्यकता पायी।

<sup>44</sup> एफएसडी पासिघाट, दापोरजी, जीरो, देवमाली, खारसाँग, तेजु, रोईंग, अनीनी, सेप्पा, तवांग, भालुकपाँग और बंदरदेवा।

<sup>45</sup> मेसर्स सेही दोनई इंटरप्राइजेस (छह संविदा), मेसर्स बी.बी. इंटरप्राजेस (तीन संविदा), मेसर्स मीना ट्रेडर्स (एक संविदा) और मेसर्स पीएनपी इंटरप्राजेस।

- वर्ष 2014-15 के दौरान दस<sup>46</sup> खाद्य भंडारगृहों में 1,87,807 एमटी खाद्यान की हैंडलिंग के लिए चार ठेकेदारों को ₹ 25.69 करोड़ का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा के द्वारा यह पाया गया कि इन ₹ 25.69 करोड़ में से चार खाद्य भंडारगृहों में 88,541 एमटी खाद्यानों की हैंडलिंग के लिए तीन<sup>47</sup> ठेकेदारों को ₹ 1.26 करोड़ का भुगतान हुआ जबकि छह खाद्य भंडार गृहों में 99,266 एमटी खाद्यानों की हैंडलिंग के लिए एक ठेकेदार यथा मेसर्स सेही दोनई एन्टरप्राइज (मेसर्स एसडीई) को ₹ 24.43 करोड़ की भारी राशि का भुगतान किया गया। मेसर्स एसडीई को दी गई राशि ₹ 2,461 प्रति एमटी आती है जबकि अन्य ठेकेदारों को दी गयी राशि ₹ 142 प्रति एमटी आती है जो किसी ठोस आधार के बिना थी तथा धोखाधड़ी का सूचक है। मेसर्स एसडीई को ₹ 2,319 प्रति एमटी (₹ 2,461 प्रति एमटी - ₹ 142 प्रति एमटी) की अंतर दर के आधार पर करीब ₹ 23.02 करोड़<sup>48</sup> का धोखाधड़ीपूर्ण अधिक भुगतान किया गया।
- मेसर्स एसडीई के दिसंबर 2014 तथा जनवरी 2015 के अभिलेखों (चार उपलब्ध बिलो) के जाँच से एमएसए के अनुसार संचालित बैगों तथा डिपो प्रभारी के द्वारा सत्यापित कार्य स्लिप में भारी अंतर का पता चलता है जिसे सारणी 5.2 में दर्शाया गया है:-

<sup>46</sup> एफसीआई के साथ काफी पत्राचार करने के बावजूद एफएसडी भालुकपाँग के अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

<sup>47</sup> मेसर्स बी.बी. इंटरप्राइजेस, मेसर्स, पीएनपी इंटरप्राजेस और मेसर्स मीना ट्रेडर्स।

<sup>48</sup> आधिक्य भुगतान:- 99,266 एमटी x ₹ 2,319 प्रति एमटी = ₹ 23.02 करोड़; ₹ 2,461 प्रति एमटी - ₹ 142 प्रति एमटी = ₹ 2,319 प्रति एमटी।

सारणी 5.2: प्राप्ति एवं निर्गम का एमएसए तथा कार्य स्लिप के बीच अंतर<sup>49</sup>

(आँकड़े बैगों की संख्या में)

डिपो जहाँ मेसर्स एसडीई हैंडलिंग ठेकेदार था	प्राप्ति			निर्गम		
	डिपो प्रभारी के द्वारा सत्यापित कार्य स्लिप के अनुसार	एमएसए के अनुसार	अंतर	डिपो प्रभारी के द्वारा सत्यापित कार्य स्लिप के अनुसार	एमएसए के अनुसार	अंतर/विचलन
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)	(6)	(7)=(5-6)
खरसांग	2,25,425	0	2,25,425	1,37,255	17,172	1,20,083
देवमाली	2,40,845	18,935	2,21,910	1,71,487	17,062	1,54,425
रोईंग	1,84,495	9,489	1,75,006	1,02,465	7,800	94,665
तेजू	2,66,995	17,384	2,49,611	2,07,686	25,042	1,82,644
कुल	9,17,760	45,808	8,71,952	6,18,893	67,076	5,51,817

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि जारी कार्य स्लिप तथा एमएसए के अनुसार बैगों की प्राप्ति/निर्गम के बीच भारी अंतर है। लेखापरीक्षा के द्वारा यह भी पाया गया कि हैंडलिंग प्रभार का दावा करते हुए सुपुर्द बिलों में कुल 6,18,893 बैगों को दर्शाया गया है जो वर्ष 2014-15 के पूरे वर्ष के लिए 1,89,726<sup>50</sup> बैगों के वार्षिक आवंटन से भी अधिक है। इन अतिव्ययी बिलों को जिला कार्यालय के द्वारा बिना किसी जाँच-पड़ताल एवं सत्यापन के भुगतान हेतु पास कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को काल्पनिक कार्य का अनुचित भुगतान हुआ।

- लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह भी पता चला कि देवमाली, रोईंग तथा तेजू में भंडारगृहों का उच्च उपयोग 336 प्रतिशत से 915 प्रतिशत (केवल 13 दिनों में) अवास्तविक रूप से दर्शाया गया जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। लेखापरीक्षा के द्वारा यह भी पाया गया कि डिपो प्रभारी के द्वारा किसी जाँच पड़ताल के बिना अतिव्ययी बिलों को सत्यापित किये जाने के आधार पर इन बिलों को ठेकेदार के द्वारा तैयार किया गया था।
- यह भी अवलोकित किया गया कि न सिर्फ काल्पनिक बिलों के आधार पर भुगतान किया गया अपितु छह हैंडलिंग संविदाओं के लिए मेसर्स एसडीई को अधिकांश

<sup>49</sup> बंदरदेवा डिपो के द्वारा केवल चार डिपो के ही कार्यसूची उपलब्ध कराये गये।

<sup>50</sup> आवंटन की तुलना में निर्गमित अधिक्य बोरे 6,18,893-1,89,726= 4,29,167

भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया। चूंकि ब्याज मुक्त अग्रिम का प्रावधान नहीं था अतः इसे “ठेकेदार को अग्रिम” के रूप में न दिखाकर “हैंडलिंग व्यय” के रूप में लेखाओं में दर्शाया गया और इस प्रकार भुगतान की प्रकृति को छिपाया गया।

- लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2014-15 के लिए पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2015-16 के लिए मूल बजट प्रस्तुत करते समय संविदा श्रमिक हैंडलिंग व्यय हेतु मद में जिला कार्यालय बंदरदेवा के द्वारा वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए संबंधित बजट शीर्ष को कम कर क्रमशः ₹ 1.02 करोड़ तथा ₹ 1.22 करोड़ की राशि दर्शायी गई जबकि वास्तविक व्यय बहुत ज्यादा क्रमशः ₹ 22.10 करोड़ तथा ₹ 26.30 करोड़ का था। इसके अलावा जोनल कार्यालय के द्वारा वास्तविक आवश्यकता के आकलन के बिना जिला कार्यालय बंदरदेवा के कैश क्रेडिट सीमा को चरणबद्ध ढंग से ₹ 0.20 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 0.70 करोड़ कर दिया गया था। जिसने जिला कार्यालय बंदरदेवा के अधिकारियों को उच्च मूल्य वाली धोखाधड़ी पूर्ण भुगतान करने में मदद की। आगे एफसीआई के मासिक एवं तिमाही व्यय विवरण तथा संविदा की समीक्षा से संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध नहीं पाये गये।

एफसीआई मुख्यालय/जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा जिला कार्यालय बंदरदेवा के द्वारा प्रस्तुत किए गये बजट प्रावधानों की समीक्षा वास्तविक व्यय से नहीं की गई अतः दोषी कर्मचारियों तथा मेसर्स एसडीई के द्वारा धोखाधड़ी से आरंभिक अवस्था में बचा नहीं जा सका। इसके अलावा, एफसीआई के द्वारा मासिक/तिमाही रिटर्नों की समीक्षा, एमएसए, संविदाओं की समीक्षा आदि आंतरिक नियंत्रण के कार्यान्वयन में भी कमी थी। आगे वास्तविक आवश्यकता के आकलन के बिना कैश क्रेडिट सीमा को बढ़ा दिया जाना भी अनुचित था और इस प्रकार नियंत्रक कार्यालयों के द्वारा भुगतान के पूर्व निरंतर जाँच-पड़ताल करने में विफलता तथा आंतरिक नियंत्रण के अमल में शिथीलीकरण के कारण इतना बड़ा धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान संभव हुआ।

लेखापरीक्षा के द्वारा फरवरी 2016 में, धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान का मामला प्रकाश में लाने के पश्चात, एफसीआई ने अपने आंतरिक लेखापरीक्षा टीम तथा जोनल कार्यालय सर्तकता टीम की तैनाती की। लेकिन एफसीआई की टीम दस्तावेजों के गुम हो जाने तथा जिला कार्यालय एवं खाद्य भंडारण गृहों में महत्वपूर्ण अभिलेखों/रजिस्ट्रों के रखरखाव नहीं किये जाने के कारण सभी कागजातों/सूचनाओं को प्राप्त नहीं कर सकी। इन टीमों के



द्वारा (मई 2016) में कुल ₹ 71.75 करोड़ (वर्ष 2015-16 तक) के धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान मेसर्स एसडीई को किए जाने, (जिसमें लेखापरीक्षा के द्वारा पकड़े गये ₹ 23.02 करोड़ शामिल हैं, का मामला पकड़ा गया) और जिससे इन भुगतानों पर एफसीआई को ₹ 13.39 करोड़ ब्याज की हानि सहित कुल ₹ 85.14 करोड़ की हानि हुई। प्रबंधन ने (अगस्त 2016) अपने उत्तर में ₹ 71.75 करोड़ के अधिक भुगतान की पुष्टि की तथा साथ ही साथ क्षेत्र प्रबंधक, प्रबंधक (लेखा), प्रबंधक (सामान्य) तथा अन्य दो कर्मचारियों के निलंबन तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने, कैश क्रेडिट सीमा कम किये जाने, भौतिक सत्यापन हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट्स/लागत एवं प्रबंध लेखाकार फर्मों को कार्य दिया जाना तथा सीबीआई गुवाहाटी के द्वारा अन्वेषण शुरू किये जाने के संबंध में सूचित किया।

प्रबंधन ने जिला कार्यालय बंदरदेवा के लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ किया तथापि ₹ 85.14 करोड़ की हानि की वसूली अभी तक लंबित है (फरवरी 2017)।

मंत्रालय को इस संबंध में दिसंबर 2016 में सूचित किया गया लेकिन उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (फरवरी 2017)।

## 5.2 ठेकेदारों को ₹ 52.62 लाख रुपये का धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान

परिवहन ठेकेदारों को अधिक दर पर तथा खाद्यानों के परिवहन के लिए वास्तविक दूरी की अपेक्षा अधिक दूरी के बिलों के भुगतान के फलस्वरूप ₹ 14.73 लाख तथा ₹ 37.89 लाख का धोखाधड़ीपूर्ण अधिक भुगतान किया गया।

एफसीआई में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त होने वाले प्रत्येक बिल की जाँच पड़ताल सहायक प्रबंधक (डिपो) के स्तर के अधिकारी द्वारा किये जाने की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात् बिलों को जिला प्रबंधक के जाँच हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाता है कि कार्य के प्रत्येक मद की गणना सही तरीके से बिल में दर्शायी गयी है। अंततः यह सत्यापित करते हुए कि बिल में प्रभारित दर तर्कसंगत न्यायसंगत अनुमोदन अनुसार है बिल को भुगतान के लिए पास कर दिया जाता है। एफसीआई के जिला कार्यालय बंदरदेवा के अंकेक्षण के दौरान यह अवलोकित किया गया कि उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण निम्नलिखित मामलों में ₹ 52.62 लाख का धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान किया गया।

(अ) एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय, बंदरदेवा के द्वारा मेसर्स सेही दोनई एन्टरप्राइजेज (मेसर्स एसडीई) ईटानगर (ठेकेदार) को रेलहेड (आरएच) हरमट्टी से खाद्यान्न भंडारण डिपो, (एफएसडी) पासीघाट तक ₹ 14.78 प्रति एमटी प्रति किलोमीटर की दर पर खाद्यान्न/संबद्ध सामग्री के परिवहन के लिए स्पॉट कोटेसन के आधार पर सड़क परिवहन ठेकेदार (आरटीसी) नियुक्त पूर्णतः अस्थायी आधार पर तदर्थ या नियमित आधार पर आरटीसी की नियुक्ति होने तक के लिए थी।

बाद में दिसंबर 2014 में क्षेत्रीय कार्यालय ईटानगर ने तदर्थ आधार पर आरटीसी की नियुक्ति के लिए टेंडर आमंत्रित किया। इस प्रक्रिया में मौजूदा ठेकेदार सफल बोलीदाता बन गया तथा उक्त मार्ग के लिए ₹ 9.86 प्रति एमटी प्रति किमी. की दर से अतिरिक्त तीन महीने के विस्तार के साथ छह महीने की अवधि (6 मई 2015) के लिए तदर्थ आधार पर आरटीसी नियुक्त किया गया।

लेखापरीक्षा में (दिसंबर 2015) अवलोकित किया गया कि पूर्व स्पॉट संविदा (अस्थायी आधार पर) को समाप्त किये बिना ही उसी ठेकेदार को तदर्थ आधार पर नियुक्त (6 मई 2015) कर दिया गया। यद्यपि, नियुक्ति पत्र के अनुसार नये (तदर्थ) संविदा के आरंभ किये जाने की गणना ठेकेदार के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जानी थी, यह पाया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय में ठेकेदार के कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट में ओवरराइटिंग तथा 11 मई 2015 की जगह 11 जून 2015 की तिथि बदलकर छेड़छाड़ किया गया। इसके अलावा ठेकेदार के द्वारा 16 मई 2015 तथा 30 मई 2015 के बीच किये गये कार्यों के लिए ₹ 14.78 एमटी टन प्रति किमी. की उच्चे दर पर बिल अधिमानित किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालय ने भी नये तदर्थ संविदा के ₹ 9.86 प्रति एमटी प्रति किमी. के दर पर बिल को सीमित करने की अपेक्षा पूर्व के ₹ 14.78 प्रति एमटी प्रति किमी. की दर से बिल का भुगतान कर दिया। इसके कारण ₹ 14.73 लाख का अधिक भुगतान किया गया जो कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट की तिथि में छेड़छाड़ करने का प्रत्यक्ष परिणाम था।

(ब) एक अन्य मामले में एफसीआई ने (अक्टूबर 2014/मई 2015) में मेसर्स एसडीई तथा मेसर्स टीके एजेन्सीज को आरएच हरमट्टी से पासीघाट, दपोरीजो, धेमाजी तथा नार्थ लखीमपुर स्थित खाद्य भंडार गृहों में खाद्यान्न/संबद्ध सामानों के परिवहन के लिए नियुक्त किया। चूंकि उस समय आरएच हरमट्टी में इलेक्ट्रॉनिक नाप तौल मशीन उपलब्ध नहीं थी अतः ठेकेदारों को आरएच हरमट्टी से खाद्य भंडार डिपो, बंदरदेवा होते हुए निर्दिष्ट डिपो तक अनाज के परिवहन की अनुमति दी गई थी। आरएच हरमट्टी से खाद्य भंडार डिपो बंदरदेवा की दूरी नौ किलोमीटर थी तथा खाद्य भंडार गृह बंदरदेवा में

खाद्यानों के नाप तौल के लिए ठेकेदारों को आने तथा जाने में कुल 18 किमी. की दूरी तय करनी पड़ी।

*अतिरिक्त दूरी के लिए परिवहन लागत में कमी के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालय ने (मार्च 2015) में आरएच हरमट्टी के नजदीक एक निजी इलेक्ट्रॉनिक नाप तौल मशीन भाड़े पर लिया। अतः मार्च 2015 के पश्चात् खाद्यानों के परिवहन हेतु 18 किमी. की अतिरिक्त दूरी ठेकेदारों द्वारा तय करने की आवश्यकता नहीं थी।*

आरएच हरमट्टी से एफएसडी पासीघाट (215 किमी.), दापोरजी (356 किमी.), धेमाजी (92 किमी.), नार्थ लखीमपुर (27 किमी.) तक मार्च 2015 से अक्टूबर 2015 के दरम्यान खाद्यानों के परिवहन से संबंधित मेसर्स एसडीई तथा मेसर्स टीके एजेन्सीज के विभिन्न बिलों की जाँच से पता चला कि यद्यपि ठेकेदारों ने बिलों में वास्तविक दूरी/वास्तविक से अधिक दूरी का दावा किया था, क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा बिलों को पास करते समय उक्त बिलों में दूरी को बिना किसी स्पष्टीकरण के वास्तविक दूरी से नौ किमी. और उससे अधिक तक बढ़ा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप मेसर्स एसडीई को ₹ 36.42 लाख तथा मेसर्स टीके एजेन्सी को ₹ 1.47 लाख का धोखाधड़ीपूर्ण अधिक भुगतान किया गया।

*क्षेत्रीय कार्यालय बंदरदेवा में बिलों की सटीकता की जाँच तथा नियमों के अनुपालन में कमी के कारण दोनों ही मामले घटित हुए। इसके अलावा लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया कि जो अधिकारी आरएच हरमट्टी के नजदीक नाप-तौल मशीन किराये पर लेने की प्रक्रिया में शामिल थे, उन्होंने यह मानकर कि ठेकेदारों द्वारा नाप-तौल हेतु एफएसडी, बंदरदेवा तक की यात्रा की गई है बढ़ाकर बिल पास किये। इसके कारण ठेकेदारों को बिना किसी स्पष्टीकरण के स्पष्ट रूप से लाभान्वित किया गया।*

लेखापरीक्षा के जाँच-परिणाम के आधार पर इस मामले की जाँच (मार्च/अप्रैल 2016) एफसीआई, आंचलिक कार्यालय गुवाहाटी के द्वारा गठित एक टीम के द्वारा की गई जिसमें लेखापरीक्षा की जाँच परिणाम के तथ्यों तथा आँकड़ों की पुष्टि की गई। उक्त समिति ने अन्वेषण के उपरान्त मेसर्स एसडीई से ₹ 51.15 लाख (₹ 14.73 लाख एवं ₹ 36.42 लाख) तथा मेसर्स टीके एजेन्सी से ₹ 1.47 लाख की वसूली करने के लिए अनुसंधान दी और उक्त समिति ने क्षेत्र प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारियों, जो गलत नीयत से इस कार्य में शामिल थे, के विरुद्ध कठोर प्रशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की भी अनुसंधान की। फिर भी न तो वसूली की गई और न ही इसमें शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध कोई प्रशासनात्मक कार्रवाई की गई।

प्रबंधन के द्वारा लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को (सितंबर 2016) मान लिया गया लेकिन उक्त राशि की वसूली अभी तक नहीं हो पाई है।

संबंधित मामले मंत्रालय को अक्टूबर 2016 में सूचित किया गया लेकिन उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2017)

### 5.3 उत्तर प्रदेश सरकार तथा उसकी एजेन्सीयों को ₹ 24.96 करोड़ का अधिक भुगतान

केएमएस वर्ष 2014-15 के दौरान धान की खरीद तथा चावल की सुपुर्दगी के लिए जूट के बोरो की कीमत तथा उसके मूल्य हास पर उत्तर प्रदेश सरकार तथा उसकी एजेन्सीयों को ₹ 24.96 करोड़ का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा के आधार पर ₹ 2.96 करोड़ के अधिक भुगतान की वसूली एवं बकाया ₹ 22.00 करोड़ की राशि की गैर वसूली।

भारत सरकार प्रत्येक विपणन मौसम में कस्टम मिल चावल (सीएमआर) की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों और उसकी एजेन्सीयों को एफसीआई के द्वारा प्रतिपूर्ति की जानेवाली रकम की दर का निर्धारण करती है। वर्ष 2014-15 के खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) के दौरान जूट के बोरो की कीमत तथा उसके मूल्य हास की दर क्रमशः ₹ 86.46 तथा ₹ 33.99 थी।

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने अपने दिनांक 06 जनवरी 2015 के पत्र द्वारा राज्य सरकार के द्वारा रबी विपणन मौसम (आरएमएस) वर्ष 2012-13, केएमएस वर्ष 2012-13 तथा आरएमएस वर्ष 2013-14 के लिए खरीदे गये अप्रयुक्त (बकाया) जूट के बोरो तथा उच्च क्षमता के पॉलिथीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन बोरो के प्रयोग की अनुमति केएमएस वर्ष 2014-15 के लिए धान की खरीद तथा चावल की डिलीवरी के लिए दी।

क्षेत्रीय कार्यालय, एफसीआई, लखनऊ की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि पूर्व फसल वर्ष में अनुप्रयुक्त जूट के बोरो की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध थी अतः राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 के खरीफ विपणन वर्ष के लिए जूट के बोरो के लिए माँग पत्र जारी नहीं किये गये। खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 के लिए चावल की खरीद पूर्व के वर्षों में अनुप्रयुक्त जूट के बोरो में की गई थी जिसके लिए आवश्यक अनुमति भारत सरकार के द्वारा दे दी गई थी। यद्यपि यह देखा गया कि एफसीआई के द्वारा केएमएस वर्ष 2014-15 के लिए

## 2017 का प्रतिवेदन सं. 18

लागू दर के आधार पर जूट के बोरो तथा उसके मूल्य हास का भुगतान राज्य सरकार तथा उसकी एजेन्सीयों को किया गया जबकि जिन जूट के बोरो में केएमएस वर्ष 2014-15 के लिए सीएमआर की डिलीवरी की गई थी वे पूर्व के वर्षों की थी। फलस्वरूप ₹ 24.96 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर क्षेत्रीय कार्यालय, फैजाबाद के द्वारा सिर्फ ₹ 2.96 करोड़ की वसूली की गई। हालाँकि राज्य सरकार तथा उसकी एजेन्सीयों से ₹ 22.00 करोड़ की वसूली अभी तक नहीं की गई है।

मंत्रालय को अक्टूबर 2016 में उक्त मामले से सूचित किया गया था लेकिन उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2017)।

### 5.4 पंजाब में ओपेन मार्केट सेल स्कीम के तहत थोक उपभोक्ताओं को लागत से कम कीमत पर गेहूँ की बिक्री

वर्ष 2013-14 के दौरान ओपेन मार्केट सेल स्कीम के तहत थोक उपभोक्ताओं को भारतीय खाद्य निगम के द्वारा गेहूँ की बिक्री लागत से भी कम कीमत पर की गई जिसके फलस्वरूप ₹ 38.99 करोड़ के लागत कीमत की गैर वसूली हुई।

भारत सरकार ओपेन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के आधार पर घरेलू बाजार में थोक उपभोक्ताओं तथा छोटे निजी व्यापारियों के लिए एफसीआई के माध्यम से पूर्व निर्धारित कीमतों पर टेण्डर सेल के द्वारा बिक्री हेतु गेहूँ आवंटित करती है। आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति, संबंधित विभागो/मंत्रालयों की सलाह तथा मंत्रालय के द्वारा दी गई ड्राफ्ट नोट के आधार पर ओएमएसएस के तहत गेहूँ की बिक्री के लिए आरक्षित कीमत का निर्धारण करती है। एफसीआई भारत सरकार द्वारा आवंटन तथा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए ओएमएसएस के तहत गेहूँ तथा चावल की बिक्री का कार्य करती है।

मंत्रालय के निर्देशों (अगस्त 2012) के आधार पर एफसीआई की उच्च स्तरीय समिति पंजाब क्षेत्र में ओएमएसएस के तहत थोक उपभोक्ताओं/निजी व्यापारियों को एफसीआई के गोदामों से टेण्डर सेल का दर को सितंबर 2012 में सूचित किया। तत्पश्चात मंत्रालय के द्वारा पंजाब और हरियाणा में एफसीआई के गोदामों से थोक उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु 85 एलएमटी गेहूँ तथा निजी व्यापारियों को बिक्री हेतु 10 एलएमटी गेहूँ का आवंटन

(जुलाई 2013) किया गया जो मार्च 2014 तक की जानी थी। गेहूँ की आरक्षित कीमत ₹ 1,500 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी।

मंत्रालय के द्वारा (नवंबर 2016) कहा गया कि आरक्षित कीमत ₹ 1,500 प्रति क्विंटल की दर निर्धारण में अन्य तथ्यों के साथ-साथ निम्नलिखित का भी ध्यान रखा गया:-

- (i) आरक्षित कीमत निर्धारण में वर्ष 2013-14 की आर्थिक लागत ₹ 2,010.22 प्रति क्विंटल को मुद्रास्फीति होने के कारण शामिल नहीं किया।
- (ii) वर्ष 2013-14 के आरएमएस के लिए गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य - ₹ 1,350 प्रति क्विंटल को बहुत कम होने के कारण माना नहीं गया।
- (iii) इसके अलावा, निजी व्यापारियों ने मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में घोषित बोनस के साथ ₹ 1,500 प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ की खरीद की थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि खुले बाजार में गेहूँ की बिक्री हेतु आरक्षित कीमत के निर्धारण में सिर्फ दो राज्यों मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में प्रचलित कीमत का ही ध्यान में रखा गया जबकि घरेलू बाजार में गेहूँ की कीमत (सितंबर 2012) उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा बिहार में कुछ जगहों को छोड़कर अधिकतर राज्यों में ₹ 1,500 प्रति क्विंटल से अधिक थी। इस प्रकार न केवल नमूना आकार को केवल दो राज्यों तक ही सीमित रखा गया इन दो विशेष राज्यों को चुनने के कारण भी स्पष्ट नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अंतर-मंत्रालयी परामर्श के उत्तर में व्यय विभाग ने खुले बाजार के लिए गेहूँ में आरक्षित मूल्य को तय करने में न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा वैधानिक करों को ध्यान में रखने की सलाह दी थी जो कि लगभग ₹ 1,550 प्रति क्विंटल थी! आरक्षित मूल्य का निर्धारण न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा वैधानिक करों के आधार पर करने के प्रस्ताव का न तो अभिलेखों में विशेष अस्वीकृति और न ही स्वीकृति पायी गयी। संयोग से खुले बाजार में गेहूँ की बिक्री के लिए पिछली दो योजनाओं में वैधानिक करों का तत्व आरक्षित मूल्य में शामिल किया गया था। तथापि सिर्फ वर्ष 2013-14 में राज्यवार वैधानिक करों को शामिल नहीं करते हुए आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया गया; तथा उक्त अपवाद के लिए कोई सही स्पष्टीकरण अभिलेखों में नहीं पाया गया।

व्यय विभाग ने यह भी सुझाव दिया था कि मुद्रास्फीति संबंधी स्थितियों को शामिल करने के उद्देश्य से कीमत के बाजार मूल्य के ठीक नीचे तय करने पर विचार किया जा सकता है और प्रचलित बाजार कीमत के आधार पर आरक्षित मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक समिति को नामित करने का प्रस्ताव भी दिया। तथापि, खुले बाजार में गेहूं की बिक्री के लिए गेहूं की आरक्षित कीमत तय करने के लिए एक समिति को नामित करने के सुझाव को मंत्रालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि राज्य के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में काफी मूल्य भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि गेहूं के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए नमूना आकार केवल दो राज्यों में प्रचलित बाजार मूल्य तक ही सीमित था। यह निर्णय विशेष रूप से इस तथ्य के आधार पर देखा जाना चाहिए कि व्यय विभाग के सुझाव के प्रतिकार में मंत्रालय ने 20 सितंबर 2013 के अपने आंतरिक नोट में कहा था कि एक राज्य तथा विभिन्न राज्यों के बीच गेहूं की कीमतों में काफी भिन्नता है। इस प्रकार, आरक्षित मूल्य को निर्धारित करने के लिए केवल दो राज्यों के आकड़ों पर मंत्रालय की निर्भरता में स्पष्टीकरण की कमी थी। आरक्षित मूल्य की गणना के लिए मंत्रालय को कम से कम प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के बाजार मूल्य पर विचार करना चाहिए था।

इस प्रकार मंत्रालय द्वारा व्यय विभाग के सुझाव पर विचार नहीं करने से गेहूं के खुले बाजार में बिक्री की प्रक्रिया में एफसीआई द्वारा ₹ 38.99 करोड़<sup>51</sup> कि राशि कि लागत (एमएसपी+वैधानिक कर) कि वसूली नहीं हुई।

### 5.5 ₹ 25.01 करोड़ के आउटपुट मूल्य वर्धित कर का अधिक भुगतान

इनपुट मूल्य वर्धित कर से संबंधित दस्तावेजों के अनुप्रयुक्त संकलन/रखरखाव के कारण एफसीआई के द्वारा आउटपुट मूल्य वर्धित कर के भुगतान के समय इनपुट मूल्य वर्धित कर समायोजन नहीं किए जाने से ₹ 25.01 करोड़ का परिहार्य भुगतान। समायोजन/वापसी नहीं किए जाने से एफसीआई द्वारा लिए गए उधार पर परिणाम स्वरूप ₹ 13.02 करोड़ के ब्याज की हानि।

<sup>51</sup> ₹ 467 प्रति एमटी x 8.35 एलएमटी = ₹ 3899.45 लाख

₹ 467 प्रति एमटी = 10 x (₹ 1550 प्रति क्विंटल - ₹ 1,503.30 प्रति क्विंटल [औसत बिक्री वसूली])।

इनपुट टैक्स का पूर्ण क्रेडिट दिया जाता है। एफसीआई ने भी (जुलाई 2005) निर्देश जारी किया था कि इनपुट टैक्स का समायोजन राज्य के अंदर खरीदे गए स्टॉक की बिक्री पर वसूले गए आउटपुट टैक्स से किया जाए।

उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर के भुगतान संबंधी औपचारिकताएं जून 2011 तक विकेंद्रीकृत रही हैं अर्थात् एफसीआई के प्रत्येक जिला कार्यालय (डीओ) के लिए अलग-अलग करदाता पहचान संख्या (टीआईएन) थे। 01 जुलाई 2011 से एफसीआई ने प्रचलित व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया तथा केन्द्रीकृत व्यवस्था को अपनाया, जिसके लिए आवश्यक था कि उत्तर प्रदेश में एफसीआई के डीओ द्वारा करदाता पहचान संख्या का समर्पण किया जाए तथा उनके द्वारा अपने अधीन खाद्यान भंडारों का मूल्य क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के करदाता पहचान संख्या को हस्तान्तरित किया जाए। खाद्यान स्टॉक के मूल्य को स्थानांतरण को बिक्री माना गया अतः उस पर आउटपुट मूल्य वर्धित कर का आरोपण किया गया। उत्तर प्रदेश में खाद्यान स्टॉक के मूल्य वर्धित कर को एफसीआई के द्वारा इनपुट वैट से किए गए पूर्व के भुगतान से पूर्णतः समायोजित किया जाना था जिससे आउटपुट वैट पर किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाना था।

अभिलेखों की जांच पड़ताल से पता चल कि उत्तर प्रदेश के सात जिला कार्यालयों<sup>52</sup> में 30 जून 2011 के अनुसार खाद्यान के भंडार को क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के करदाता संख्या को हस्तांतरित किया गया जिसके कारण ₹ 50.66 करोड़ के आउटपुट वैट का आदान हुआ। संबंधी कागजात<sup>53</sup> अनुपयुक्त संकलन जिसमें क्रेता का ब्यौरा, विवरण की मात्रा एवं मूल्य वर्धित कर भुगतान की राशि आदि रखरखाव नहीं किए जाने के कारण एफसीआई आउटपुट वैट के विरुद्ध इनपुट वैट की ₹ 25.65 करोड़ की राशि का ही दावा कर सकी। परिणामतः आउटपुट वैट से इनपुट वैट की पूरी राशि का समायोजन नहीं करने के फलस्वरूप एफसीआई को ₹ 25.01 करोड़ की राशि का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

<sup>52</sup> आगरा, बुलंदशहर, फैजाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, सहारनपुर तथा वाराणसी।

<sup>53</sup> फार्म वैट XVIII (टैक्स चालान)।



लेखापरीक्षा की टिप्पणियों स्वीकार करते समय हुए प्रबंधन द्वारा (जनवरी 2015) कहा गया कि केन्द्रीकृत व्यवस्था के आरंभ के समय इनपुट वैट की कम उपलब्धता निम्न कारणों से शुरू की गई (i) 2008 में विकेंद्रीकृत व्यवस्था के समय क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर उपलब्ध ₹ 31.84 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पर विचार नहीं किया गया (ii) कुछ जिला कार्यालयों में विकेंद्रीकृत व्यवस्था के समय उत्तर प्रदेश से बाहर के स्टॉक की बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को उपयोग में लाना (iii) कुछ जिला कार्यालयों में टैक्स के चालान कि अनुपलब्धता के कारण वैट रिटर्न सही तरीके से नहीं भर पाना। उपर्युक्त मुद्दों पर काबू पाने के लिए एफसीआई ने (1 जुलाई 2011) क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर वैट तंत्र के पुनः केन्द्रीकरण का निर्णय लिया तथा संबंधित कर प्राधिकारियों पर संशोधित रिटर्न आदि दाखिल कर अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्राप्त करने की उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही हैं।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत के समय जिला कार्यालय में उपलब्ध स्टॉक के मूल्य के अंतरण को बिक्री माना गया था तथा उसपर आउटपुट टैक्स आकर्षित हुआ जिसे उसी समय खादान्नों की समान मात्रा के मूल्य पर इनपुट टैक्स के साथ समायोजित किया जाना था। पुनः 2008 में विकेंद्रीकृत व्यवस्था के समय शुरुआती इनपुट टैक्स क्रेडिट पर विचार नहीं किया जाना या जिला कार्यालय के द्वारा उत्तर प्रदेश से बाहर के खाद्यान स्टॉक की बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करना मूल्य वर्धित कर के जुलाई 2011 में पुनः कर के समय समायोजन न कर पाने के कारण नहीं बनते। कुछ जिला कार्यालयों में टैक्स चालान की अनुपलब्धता के कारण वैट रिटर्न फ़ाइल नहीं किए जाने संबंधी प्रबंधन का उत्तर कागजातों को सही ढंग से नहीं रखे जाने की ओर इशारा करता है जिसके परिणाम स्वरूप आउटपुट वैट के ₹ 25.01 करोड़ की राशि का समायोजन इनपुट वैट के विरुद्ध नहीं हुआ।

इस प्रकार इनपुट वैट का क्रेडिट (लाभ) उठाने का दावा करने हेतु, महत्वपूर्ण कागजातों को सही ढंग से नहीं रखने के कारण, एफसीआई के द्वारा न केवल उत्तर प्रदेश के मूल्य वर्धित कर प्राधिकारियों को ₹ 25.01 करोड़ का भुगतान किया गया अपितु: निगम के द्वारा दैनिक काम काज (मार्च 2016) को जारी रखने के लिए समान रकम के क्रेडिट पर

₹ 13.02 करोड़<sup>54</sup> के ब्याज की भी हानि हुई। इसके लावा पाँच वर्ष बीत जाने के पश्चात भी एफसीआई आउटपुट टैक्स के रूप में दिये गए ₹ 25.01 करोड़ की राशि की वापसी पाने में सफल नहीं हुई।

मामले की सूचना (अक्टूबर 2016) में मंत्रालय को दी गई तथा उनके उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2017)।

नई दिल्ली

दिनांक: 05 जून 2017



(आशुतोष शर्मा)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा  
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड IV,  
नई दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 06 जून 2017



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

<sup>54</sup> एफसीआई के द्वारा लिए गए नगद ऋण सीमा पर ब्याज जुलाई 2011 से मार्च 2016 कि अवधि हेतु ₹ 25.01 करोड़ रुपये की राशि पर गणना की गई।

